बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, बारां
व्यक्तिगत ऋण योजना

1. नाम एवं क्षेत्र :

इस योजना का नाम ''व्यक्तिगत ऋण योजना '' होगा एवं यह बैंक की सभी शाखाओं में लागू होगी। जहां तक केन्द्रीय सहकारी बैंकों का प्रश्न है, प्रत्येक बैंक अपने अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धि को देखते हुए निर्णय कर लागू करेंगे।

2. उद्देश्यः

योजना के अंतर्गत आवेदन कर्त्ता की देय क्षमता को देखते हुये व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा सकेंगा। यह ऋण निम्न प्रकार से ऋणी की सुविधानुसार स्वीकृत किया जा सकेगाः–

1. सावधी ऋण– अधिकतम 5 वर्ष हेतु।
2. साख सीमा/ क्रेडिट कार्ड के रूप में लिमिट– प्रति वर्ष नवीनीकरण।

3. पात्रताः

3.1 इस योजनांतर्गत केवल ऐसे व्यक्तियों को ही ऋण प्रदान किया जा सकेगा जो बैंक के कार्यक्षेत्र में निवास कर रहे हों। बैंक की शाखाओं के लिये नगरीय सीमा में निवास करने वाले व्यक्तियों को ही ऋण प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिये उन्हें निवास के पते का प्रमाण यथा ड्राईविंग लाईसेन्स, निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र, पेन कार्ड, नियोक्ता का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा। पते के प्रमाण हेतु राशन कार्ड मान्य नहीं होगा। यह ऋण बैंक द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत संतुष्टि होने पर ही दिया जा सकेगा।

3.2 ऋणी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 55 वर्ष होगी।

3.3 इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रम, विश्वविद्यालय, शीर्ष बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक/अरबन को–आपरेटिव बैंक एवं अन्य बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड, न्यायालय, वित्तीय संस्थानों, सहकारी संस्थानों, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि के कर्मचारियों एवं ऐसे स्वरोजगारयुक्त व्यक्तियों जिनको कि आयकर कार्यालय में स्थाई खाता नम्बर(पैन) आवंटित हो, को ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। ऐसे कार्यालय के कर्मचारियों जिनका स्थानान्तरण राज्य के बाहर भी हो सकता है को चयनित आधार पर स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी की संतुष्टि पर ही ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

3.4 केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समिति के स्थाई व्यवस्थापकों को भी इस योजना के अंतर्गत संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जा सकेगा।

3.5 शीर्ष बैंक द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 10072 दिनांक 28.01.2010 के क्रम में वेतन भोगी आवेदकों को व्यक्तिगत ऋण की स्वीकृति नियोक्ता से वसूली का कडीबंधन होने अथवा नियोक्ता द्वारा ऋण की चुकारे की अण्डरटेकिंग देने की दशा में ही शाखा स्तर पर अनुमत सीमा तक ऋण स्वीकृत किये जावेगे। आहरण एवं वितरण अधिकारी की अण्डरटेकिंग के अभाव मे वेतन भोगी आवेदकों को व्यक्तिगत ऋण स्वीकृति के प्रकरण प्रधान कार्यालय को स्वीकृति से पूर्व अनुमति हेतु प्रेषित किये जावेगे।

4. ऋण/साख सीमा

4.1 इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की मासिक आय के 8 गुना राशि के बराबर तक का ऋण/साख सीमा स्वीकृत की जा सकेगी जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 2.00 लाख होगी। व्यवसायी/प्रोफेशनल एवं अन्य की दशा में गत वर्ष की वास्तविक आय के आधार पर औसत मासिक आय की गणना की जावेगी।

4.2 इस हेतु आय का प्रमाणन आयकर निर्धारण रिटनर्स, नियोक्ता से जारी आय प्रमाण–पत्र जिसमें कटौतियों का भी पूर्ण विवरण हो से किया जा सकेगा।

4.3 यदि ऋणी चाहे तो उसे यह सुविधा व्यक्तिगत क्रेडिट लिमिट के रूप में भी स्वीकृत की जा सकेगी तथा इसके लिये उसके पक्ष में बैंक द्वारा एक क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकेगा जिस पर सभी वांछनीय सूचनायें एवं कुल लिमिट अंकित होगी। यह लिमिट/ कार्ड सुविधा एक वर्ष के लिये स्वीकृत होगी तथा तत्पश्चात प्रति वर्ष बैंक की संतुष्टि पर नवीनीकृत की जावेगी।

4.4 वेतन भोगी ऋणी की दशा में ऋण/ साख सीमा/क्रेडिट कार्ड लिमिट स्वीकृति के समय इस ऋण की किश्त को सम्मिलित करते हुये यह देखा जावेगा कि ऋणी को शुद्व प्राप्त वेतन (take home salary) कुल वेतन के 25 प्रतिशत से कम नहीं हो।

4.5 अवेतनभोगी ऋणी की दशा में औसत मासिक आय को आधार मानकर कटौती सुनिश्चित की जावेगी साथ ही ऋणी को मासिक देयताओं का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

4.6 नियोक्ता की गांरटी पर तथा यदि वेतन इसी खाते में जमा हो तो बिना अन्य जमानतदार के भी लिमिट स्वीकृत की जा सकती है।

5. स्वीकृति के अधिकारः

5.1 ऋण स्वीकृति संचालक मण्डल अथवा ऋण उप कमेटी द्वारा दी जावेगीः–

6. ब्याज दर

6.1 बैंक द्वारा लिये गये निर्णयानुसार ब्याज दर प्रभावी होगी जो केश क्रेडिट ऋण की दशा में परिवर्तनशील होगी तथा ब्याज दर में परिवर्तन पर बकाया ऋण राशि पर स्वतः लागू होगी व सावधि ऋण की दशा में ऋणी को स्थायी/ परिवर्तनशील ब्याज दर के दोनो विकल्प उपलब्ध होगें। ब्याज मासिक आधार पर चार्ज किया जावेगा तथा ब्याज की राशि माह की अंतिम तिथि को ऋण खातों में नामें लिखी जावेगी।

7. पुनर्भुगतानः

सावधि ऋण की दशा में

7.1 योजनांतर्गत ऋण सावधि ऋण की दशा में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया जावेगा एवं 10/– रूपये के गुणनफल में मासिक किश्तें सृजित की जावेंगी। मूल एवं ब्याज की राशि की मासिक आधार पर गणना करते हुए ऋण की राशि में जोड़ समान मासिक किश्तें निर्धारित की जावेंगी। चूंकि किश्तें 10/– रूपये के गुणनफल में निर्धारित की जावेंगी इसलिये अंतिम मास में बकाया ऋण एवं उस पर लगने वाले ब्याज की राशि को देखते हुए किश्तों का समायोजन किया जावेगा।

7.2 ऐसे वेतनभोगी ऋणी जिनके नियोक्ता द्वारा मासिक कटौती की गारंटी नहीं दी गई है तथा गैर वेतनभोगी ऋणियों द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु मासिक किश्तों के अग्रिम चैक बैंक के पक्ष में प्रस्तुत किये जावेगे तथा ऋणी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि संबंधित बैंक खाते में चैक पास होने हेतु पर्याप्त राशि जमा रहे। साथ ही ऋणी

के लिये यह आवश्यक है कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्यतः राशि ऋण खाते में जमा हो रही है।

7.3 अन्य दशा में भी ऋणी से 5 चैक बैंक के पक्ष में प्राप्त किये जावेगें जिनका उपयोग बैंक द्वारा किया जा सकेगा।

7.4 चैक के अनादरण होने की दशा में नेगोसियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तथा अन्य विधि के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी तथा चैक वापसी प्रभार 100/– रूपये प्रति चैक अथवा बैंक नियमों में परिवर्तन पर अधिक राशि से ऋण खाते में डेबिट किया जावेगा।

7.5 ऋणी किश्तों से अधिक राशि ऋण खाते में चुकाने के लिये स्वतंत्र होगा एवं इस पर किसी प्रकार का प्रभार वसूल नहीं किया जावेगा।

साख सीमा/ क्रेडिट कार्ड की दशा में

8.1 क्रेडिट कार्ड/ साख सीमा की दशा में स्वंय ऋणी उसके द्वारा उपभोग की गई राशि जो माह की 15 तारीख को बकाया है, का 5 प्रतिशत बैंक में अगले माह की 10 तारीख तक जमा कराना होगा । इसके लिये बैंक द्वारा किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जावेगी।

8.2 क्रेडिट कार्ड/ साख सीमा की दशा में ऋणी से 5 चैक बैंक के पक्ष में प्राप्त किये जावेगे जिनका उपयोग बैंक द्वारा किया जा सकेगा। चैक के अनादरण होने की दशा में नेगोसियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट तथा अन्य विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

8.3 ऋण के पुर्नभुगतान की किश्त जमा न कराने की स्थिति में लेट फीस के रूप में निम्नानुसार चार्जेज ऋण खाते में डेबिट किये जावेगें:–

प्रथम माह की किश्त न आने पर 150/'
द्वितीय माह की किश्त न आने पर 300/–
तृतीय माह की किश्त न आने पर 450/–

अतएव ऋणी के लिये यह आवश्यक है कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्यतः राशि ऋण खाते में जमा हो रही है। 3 माह से अधिक खातों अनियमित होने पर बैंक एक मुश्त वसूली के लिये स्वतंत्र होगा एवं इसमें ऋणी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8.4 ऋणी किश्तों से अधिक राशि ऋण खाते में चुकाने के लिये स्वतंत्र होगा एवं इस पर किसी प्रकार का प्रभार वसूल नहीं किया जावेगा।

8. ऋण की सुरक्षाः

8.1 योजनांतर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात् ऋणी को दो समुचित हैसियत वाले व्यक्तियों की जमानत जो बैंक को मान्य हों, बैंक के पक्ष में देनी होगी।

8.2 यदि प्रार्थी के नियोक्ता द्वारा मासिक किश्तों के भुगतान की गारंटी बैंक के पक्ष में दी जाकर स्वीकृत किया गया हो तो एक व्यक्ति की जमानत पर्याप्त होगी।

8.3 अवैतनिक एवं नियोक्ता से सीधे वसूली का कडीबंधन नहीं होने की दशा में रूपये 100000/– से अधिक के ऋण स्वीकृति पर ऋण की सीमा तक कोलेट्रल सिक्यूरिटी भी ली जावेगी।

9. ऋण की प्रक्रियाः

योजनांतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को अपने क्षेत्र में स्थित बैंक की शाखा से प्रार्थना–पत्र जिसकी लागत 25/– रूपये प्रति फार्म होगी, क्रय करके वांछित प्रपत्रों के साथ भली भांति स्पष्ट अक्षरों में पूर्ण रूप से भर कर उसी शाखा में जमा कराना होगा। शाखा स्तर पर प्राप्त आवेदन–पत्र की भलीभांति जांच कर ऋण स्वीकृति पत्र वांछित दस्तावेजात प्रस्तुत करने की शर्त के साथ जारी किया जावेगा। ऋण स्वीकृति पर 100/– रूपये प्रक्रिया शुल्क आवेदनकर्ता को जमा कराना होगा।

10. वांछित दस्तावेजातः

ऋण प्रार्थना पत्र के साथ आयकर विवरणी की प्रति/ वेतन स्लिप साथ में लगाई जाकर पूर्ण रूप से भरते हुये शाखा को प्रस्तुत किया जावेगा तथा ऋण स्वीकृति के बाद ऋण राशि जारी करने से पूर्व प्रार्थी को निम्नांकित दस्तावेज बैंक के पक्ष में निष्पादित कर प्रस्तुत करने होगें:–

10.1 ऋण अनुबन्ध पत्र (लोन एग्रीमेंट)।
10.2 बैंक को मान्य दो/एक व्यक्ति के प्रतिभूति विलेख।
10.3 वचन पत्र
10.4 वेतनभोगी कर्मचारियों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी गारंटी पत्र।(यदि लागू हो)
10.5 बैंक के पक्ष में किश्तो के अग्रिम चैक्स।
10.6 कोलेट्रल सिक्यूरिटी देने की दशा में संबंधित दस्तावेज ।

11. अन्य शर्तें

11.1 योजनांतर्गत ऋण नियोक्ता की गारंटी वाले संस्थानों के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किये जावेंगे।
11.2 ऐसे ऋणी जिन्होंने बैंक से पूर्व में भवन ऋण प्राप्त कर रखा है, एवं खाता नियमित है, को प्राथमिकता दी जावेगी तथा उनका भवन ही प्रतिभूति के रूप में माना जावेगा।
11.3 ऋणी एवं जमानतदारों को बैंक का नोमिनल सदस्य बनना होगा जिसके लिये नॉमिनल सदस्यता शुल्क रूपये 10/– के अतिरिक्त न्यूनतम ऋण अवधि के समान अवधि की, समय समय पर निर्धारित राशि की मियादी जमा रसीद बनवानी होगी।
11.4 इस योजना के लागू होने के पश्चात् पूर्व में जारी उपभोक्ता ऋण योजना इसी में समाहित होने के कारण अप्रभावी हो जावेगी।

12. उपरोक्त नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार बैंक के पास निहित होगा जो कि ऋण लेने वाले व्यक्ति को भी मान्य होगा।

- शीर्ष बैंक के लेखा एवं वित्त अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23–03–2011 के निर्देशानुसार ऋण प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व कम्प्यूटर पर इनटरनेट से संबंधित ग्राहक तथा गारण्टर की सिबिल की वेबसाईट **cibil.com** से CREDIT INFORMATION REPORT प्राप्त करें ताकि ऋणी तथा गारण्टर की विविध विगत के साथ– साथ अन्य बैंकों के साथ उनके चल रहे ऋण व्यवहार तथा वित्तीय अनुशासन का भी पता लगाया जा सकें। इस सेवा का ऋण की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावें ताकि शाखा प्रबंधक एवं शाखा स्टॉफ खराब ऋण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से सुरक्षित रह सकें।

शाखा प्रबन्धक,
बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,
शाखा ——————————————

<u>विषयः व्यक्तिगत ऋण हेतु आवेदन—पत्र</u>

महोदय,

मैं आपकी शाखा से व्यक्तिगत ऋण योजनांतर्गत रूपये ————————————————— (अक्षरे रूपये ————————————————————————) मात्र के सावधि ऋण/ साख सीमा/क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति हेतु आवेदन करता/करती हूं । विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः—

1— आवेदक के सम्बन्ध में विवरण :		
अ	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
ब	पिता/पति का नाम	
स	उम्र एवं जन्मतिथि	
द	स्थाई पता	
य	पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान पता फोन नंबर मोबाइल नंबर	कार्यालय .... निवास ....
2	(1) वैतनिक आवेदकों हेतु नियोक्ता का विवरण	
अ	नियोक्ता का नाम, पता एवं फोन नंबर	
ब	वर्तमान पद	
स	सेवा निवृत्ति की तिथि	
छ	मासिक वेतन (नियोक्ता से प्रमाणित प्रमाण—पत्र संलग्न किया जावें।)	
य	विभिन्न कटौतियों के पश्चात् वेतन से शुद्ध मासिक आय	
र	अन्य आय यदि कोई हा	
(2) अवैतनिक आवेदक की दशा में		
अ	व्यवसाय/फर्म का नाम, पता व फोन नंबर	
ब	व्यवसाय की प्रकृति	
स	गत वर्ष की आय (आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करें)	
3.	**ऋणी पर आश्रित सदस्य** माता, पिता, पत्नी, पुत्र......, पुत्री...., अन्य......... (कुल...........)	

4.	पारिवारिक खर्चों का विवरण (अनुमानित)		
5	आवेदक द्वारा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों का विवरण :–		
अ	ऋण दाता का नाम एवं पता		
ब	ऋण की राशि		
स	देय मासिक किश्त		
द	वर्तमान में ऋण शेष		
6	ऋण की प्रतिभूति :		
अ	चल सम्पत्ति का विवरण		
प्रतिभूति का प्रकार	प्रतिभूति राशि	धारक का नाम	अन्य विवरण
योग			
ब	अन्य प्रतिभूति स्थाई सम्पत्ति का विवरण मूल्यांकित राशि		
7	मैं उपरोक्त ऋण के सम्बन्ध में निम्नानुसार जमानतदार प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ :–		
प्रथम जमानतदार का विवरण			
अ	जमानतदार का नाम		
ब	पिता/पति का नाम		
स	कार्यालय/संस्था/फर्म का नाम एवं पता फोन नंबर		
द	**धारित पद/फर्म/व्यवसाय में स्थिति**		
य	वर्तमान निवास का पता फोन नंबर		
र	स्थाई पता फोन नंबर मोबाइल नंबर		
ल	मासिक आय (नियोक्ता का प्रमाण–पत्र, अवैतनिक की दशा में गत वर्ष की आयकर विवरणी की प्रतिलिपि संलग्न करें)		

द्वितीय जमानतदार का विवरण		
अ	जमानतदार का नाम	
ब	पिता/पति का नाम	
स	कार्यालय/संस्था/फर्म का नाम एवं पता फोन नंबर	
द	**धारित पद/फर्म/व्यवसाय में स्थिति**	
य	वर्तमान निवास का पता फोन नंबर	
र	स्थाई पता फोन नंबर मोबाइल नंबर	
ल	मासिक आय (नियोक्ता का प्रमाण–पत्र, अवैतनिक की दशा में गत वर्ष की आयकर विवरणी की प्रतिलिपि संलग्न करें)	
8	ब्याज दर का विकल्प	स्थाई/परिवर्तनीय

मैं ऋण राशि एवं उस पर देय ब्याज जिसकी गणना वर्तमान बैंक नियमों के अनुसार मासिक आधार पर की जाकर मूल ऋण में ही जोड दी जावेगी, के चुकारे के लिये बैंक द्वारा निर्धारित मासिक किशत के भुगतान हेतु सहमत हूं। साख सीमा/क्रेडिट कार्ड की स्थिति में प्रति माह 15 तारीख को बकाया ऋण राशि की 5 प्रतिशत राशि आगामी माह की 10 तारीख तक जमा कराता रहूंगा/रहूंगी।

मैं वचन देता/देती हूं कि मेरे द्वारा मेरे खाते, जिसके अग्रिम चैक्स दिये जा रहे हैं, में मासिक किस्त की राशि एवं ब्याज की वसूली के लिये पर्याप्त राशि रखी जावेगी। किसी भी मासिक किस्त एवं ब्याज की वसूली के भुगतान में चूक की दशा में समस्त ऋण एकमुश्त ब्याज सहित वसूल करने का अधिकार बैंक को रहेगा। अधिविकर्ष व क्रेडिट कार्ड की दशा में मेरे द्वारा 5 चैक्स दिये गये हैं। यदि किसी भी परिस्थिति में बैंक द्वारा उनका उपभोग किया जाता है तो मैं वचन देता/देती हूं कि इनके क्लीयरेंस के लिये पर्याप्त राशि मेरे अमानत खाते में जमा रखी जावेगी।

मेरी मृत्यू, सेवानिवृति, सेवा त्याग, पदच्युति अथवा किन्हीं अन्य कारणों से मासिक किस्त चुकाने में चूक होने पर बैंक को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी रूप में निहित मेरे हित/रकम को, बिना मुझे अथवा मेरे उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि को सूचित किये, जब्त करले। साथ ही मेरे कार्यालय/व्यवसाय में मुझे भुगतान योग्य राशियों में प्रथम वरीयता के आधार पर वसूली प्राप्त करने का अधिकार भी मैं बैंक को देता/देती हूं।

यदि बैंक द्वारा भविष्य में इस योजना की विभिन्न शर्तो यथा ब्याजदर, ब्याज दर गणना विधि, ऋण पुनर्भुगतान तिथि आदि में कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन किया जाता है तो वह मुझे मान्य होगा तथा मेरी व मेरे जमानतदारों की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होगी ।

ऋण स्वीकृति उपरांत पूर्ति किए जाने वाले समस्त प्रपत्रों एवं दस्तावेजों पर होने वाले समस्त व्यय के चुकारे हेतु मैं स्वंय व मेरे जमानतदार बाध्य होंगे । मेरे द्वारा उपभोग की जाने वाली चैक बुक के चार्जेज मेरे साख सीमा/क्रेडिट कार्ड खाते में नावें लिख दिये जावे।

मेरे द्वारा उक्त ऋण के सम्बन्ध में बैंक द्वारा निर्धारित समस्त नियम एवं शर्ते पढ़ तथा समझ ली गई हैं और वे मुझे मान्य है। मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य है। कृपया मुझे उपरोक्तानुसार व्यक्तिगत ऋण की राशि रूपये ——————————(रूपये ———————— ——————— ————— —————) मात्र स्वीकृत करने का कष्ट करें।

जमानतदारों के हस्ताक्षर (गवाही के रूप में) आवेदक के हस्ताक्षर

1——————————————————— नाम ——————————————————————

नाम——————————————————— पता ———————————————————————

2———————————————————

नाम——————————————————— दिनांकः ———————————————————

अनुलग्नकों का विवरण :– (कृपया सही का निशान लगायें)

भाग (अ) – (आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करने हैं)

1. आवेदनकर्त्ता का विवरणः

- आवेदनकर्त्ता की फोटो
- निवास/आयु प्रमाण–पत्र
- निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय–पत्र की फोटोकापी
- ड्राईविंग लाइसेंस की फोटो प्रति
- पैन कार्ड की फोटो प्रति
- ऋणी के वेतन का नियोक्ता से जारी प्रमाण–पत्र (कटौतियों के विवरण सहित)।
- गत वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति
- बैंक स्टेटमेंट की प्रति

2. जमानतदारों का विवरणः

- पेन कार्ड की प्रति
- निवास प्रमाण पत्र
- वेतन का नियोक्ता से जारी प्रमाण पत्र (कटोतियों के विवरण सहित)
- गत वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति

भाग–ब (ऋण की स्वीकृति के पश्चात् प्रस्तुत करने हैं)

- आवेदनकर्त्ता की दो फोटो
- जमानतदारों की दो फोटो (प्रत्येक की)
- स्वीकृति पत्र का प्रोफार्मा – बैंक की शाखा द्वारा जारी किये जाने वाला ऋण स्वीकृति पत्र
- नोमीनल सदस्यता का फार्म।
- मांग वचन पत्र/समय वचन पत्र
- सहमति पत्र
- यूजेन्स सर्टीफिकेटर
- लैटर आफ कन्टीन्यूटी
- रिवाईवल लैटर
- नियोक्ता द्वारा प्रदत्त गारंटी का पत्र
- ऋण अनुबन्ध पत्र– 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर
- अण्डरटेकिंग– 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर
- बैंक को मान्य दो व्यक्तियों के प्रतिभूति विलेख– संयुक्त नाम से 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर
- साख सीमा/क्रेडिट कार्ड के लिये हस्ताक्षर कार्ड

- अग्रिम चैक्स का विवरण
- 100000/- से अधिक ऋण की दशा में कोलेट्रल सीक्यूरिटी के दस्तावेजों का विवरण
- प्रोसेसिंग फीस- रूपये 100/-
- सर्विस टेक्स / 10.30 प्रतिशत
- सावधि जमा पत्र- 1000/- प्रत्येक(आवेदक तथा दोनो जमानतदारों से)
- आवेदन पत्र शुल्क- रूपये 25/-
- नॉमिनल सदस्यता शुल्क / रूपये 10/- प्रति सदस्य

शाखा कार्यालय हेतु

शाखा में श्री..पुत्रश्री.. का व्यक्तिगत ऋण आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। इस ऋण आवेदन-पत्र का भौतिक सत्यापन आज दिनांक.......................को मेरे/हमारे द्वारा किया गया। विवरण निम्न प्रकार हैः-

1. ऋण आवेदन- पत्र में अंकित सभी तथ्य सही पाये गये।
2. वर्तमान निवास स्वय का है या नहीं
3. आय का सत्यापन किया गया मूल आयकर रिटर्न के अनुसार ऋणी/ जमानतदारों की आय सही होना पाया है या नहीं

भौतिक सत्यापन के आधार पर वर्णित ऋणी श्री..को रूपये............ ....(अक्षरे..मात्र) का ऋण स्वीकृत करना प्रस्तावित है।

सत्यापन कर्त्ता के हस्ताक्षर
मय पद

शाखा प्रबंधक,

शाखा स्तर पर गठित कमेटी द्वारा ऋणी सदस्य को रूपये .... (अक्षरे ....) का ऋण स्वीकृत किया जाता/स्वीकृति करने की सिफारिश प्रधान कार्यालय के लिये की जाती है।

कमेटी के सदस्य | शाखा प्रबंधक

प्रधान कार्यालय

शाखा....................................से प्राप्त व्यक्तिगत ऋण आवेदन पत्र श्री...................................को रूपये..............................(अक्षरे..मात्र) ऋण ब्याज दर.................अवधि... ....के लिये स्वीकृत किया जाता है।

प्रबंधक(परि0) | प्रबंधक(ले0वि0) | प्रबन्ध निदेशक

NOMINAL MEMBERSHIP FORM

The Managing Director,

Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd., Baran

Branch -------------

SUB: NOMINAL MEMBERSHIP.

Sir,

I want to avail a Term Loan/Credit Limit/ Credit Card under your Personal Loan Scheme. You are requested to please enroll me as nominal member.

I am depositing Rs.10/- (Rupee Ten) only as membership fee and Rs.1000/- as fixed deposit. I have read the rules and regulations of the bank and the same shall be binding on me.

Place: ------------

Yours faithfully,

Date: --------------

Signature ---------------------

Name --------------------------

Address -----------------------

The Managing Director,

Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd, Baran

Branch --------------------

SUB: NOMINAL MEMBERSHIP.

Sir,

I want to offer my personal guarantee for a Term Loan/Credit Limit/ Credit Card under your Personal Loan Scheme in favour of Shri _________________________. You are requested to please enroll me as nominal member.

I am depositing Rs.10/- (Rupee Ten) only as membership fee and Rs.1000/- as fixed deposit. I have read the rules and regulations of the bank and the same shall be binding on me.

Place: ------------

Yours faithfully,

Date: --------------

Signature -------------------------------

Name ------------------------------------

Address ---------------------------------

The Managing Director,

Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd, Baran

Branch --------------------

SUB: NOMINAL MEMBERSHIP.

Sir,

I want to offer my personal guarantee for a Term Loan/Credit Limit/ Credit Card under your Personal Loan Scheme in favour of Shri _________________________. You are requested to please enroll me as nominal member.

I am depositing Rs.10/- (Rupee Ten) only as membership fee and Rs.1000/- as fixed deposit. I have read the rules and regulations of the bank and the same shall be binding on me.

Place: ------------

Yours faithfully,

Date: --------------

Signature -------------------------------

Name ------------------------------------

Address ---------------------------------

DEMAND PROMISSORY NOTE

Rs.____________

On Demand I, _______________________W/o./S/o Shri ____________________ promise to pay to Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd, Baran, Branch_________________ or order the sum of Rs. ___________ (Rupees ______________________) with interest @-------- per cent per annum with monthly rests or at the time of closure of account for value received under Personal Loan Scheme.

PLACE:

DATE:

(----------------------------------)

TIME PROMISSORY NOTE

I, _______________________W/o./S/o Shri ____________________ promise to pay a sum of Rs. ___________ (Rupees __________ _____ ________________) only to Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd, Baran, Branch_____________ towards loans/ credit limit/ credit card sanctioned to me, in ____ equal monthly installments of Rs.__________. The first installment shall be repayable on ___________and the last installment on _____________.

PLACE:

DATE:

(------------------------------)

LETTER OF ACCEPTANCE

The Branch Manager,

Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd., Baran

Branch _________

I acknowledge the receipt of your letter No.------------- dated ------------- communicating the sanction of Term loan/ Limit/ credit card of Rs. ___________ (Rupees ________________ ____________) only under Personal Loan Scheme. I hereby accept all the terms and conditions unconditionally and irrevocably mentioned in the said sanction letter till the outstanding under the limit are paid in full alongwith interest thereon.

Date:

( )

USANCE CERTIFICATE

I hereby certify that promissory note dated ____________ for a sum of Rs. ___________ (Rupees ____________________________) executed by me in favour of Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd, Baran, Branch _________ was executed in respect of Term loan/limit/ credit card taken from Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd, Baran, ___________ under the Personal Loan Scheme.

Date:

( )

LETTER OF CONTINUITY

Whereas on ____ Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd, Baran, (hereinafter called the " Bank ") has agreed to sanction me a loan/ limit/ credit card of Rs. _______________(Rupees ___________________________) only on such conditions as may have been separately agreed to between me and the Bank and in consideration of the said advance being made I have duly signed and delivered to the Bank a Demand Promissory Note for the sum of Rs. ________________(Rupees _______________ _________ __ __ only) Dated................

Further, I hereby agree and undertake that the said Promissory Note for Rs. ________ only is to stand and be regarded as a continuing security and to be enforceable for all money(s) which now are or which may at any time hereinafter become due and owing by me to the Bank on the said loan/limit account.

Borrower Signature __________________

Place:__________ Name ---

Date:__________

REVIVAL LETTER

To,

Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd., Baran

____

Dear Sir,

With reference to loans aggregating to a sum of Rs. .... (Rupees. ....) only which the Bank has granted to me/ us in respect of which I/We have executed the agreement dated .... I/We acknowledge and confirm for the purpose of section 18 of the limitation Act, 1963 and any like limitation law in order to preclude any question of limitation law that I am/ we are hereby confirm to be liable to you for the payment of all the outstanding in respect of the loans granted and the said agreement shall remain in full force with all relative securities, agreement and obligations.

Yours faithfully,

Date

Place --------------------

Name of Borrower ----------------------------

UNDERTAKING

I …………………………… S/o W/o Sh. ……………………………………… undertake to repay the personal loan taken by me from Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd., Br.----------------- in cash. I also deposit................. cheques numbering from .... to .... of my Savings Bank/ Current A/c No. .... in .... which can be utilized in case I fail to deposit my loan installment or any further recovery process as loanee or guarantor.

I also undertake that I have not taken any loan etc. from any other institution or person and will not take any such loan during the pendency of loan outstanding with the bank.

( )

Dated:- ....

Name of Borrower..........................
Address ....
....
....

LOAN AGREEMENT

ARTICLES OF AGREEMENT MADE AT ________ ON __________ DAY OF _______, 20.. BETWEEN Shri/ Shrimati ________________________Son/ Wife of _______________________ age ______ years resident of ____ occupation _______________________________ hereinafter called as ' Borrower' (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof mean and include his/ her successors, heirs and assigns) of the one part

AND

Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd, Baran registered under the Rajasthan Cooperative Societies Act having its registered office at Baran, hereinafter called the 'Financing Bank' (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, includes its successors, administrators and assigna) of the OTHER PART.

WHEREAS the borrower has applied to the Financing Bank for sanction of a loan/ OD limit/ Credit card of Rs.................. (Rupees ....) under the scheme formulated by Bank named as "Personal Loan Scheme".

AND

whereas the Financing Bank has agreed to sanction and advance a sum of Rs............ .... (Rupees ....) to the borrower for the said purposes on the terms and conditions as stipulated in the scheme framed by the bank for this purpose.
NOW, it is hereby agreed between the Financing Bank and Borrower as follows :-

1. That the terms and conditions as stipulated by the financing bank in the scheme framed as ' Personal Loan Scheme' shall form part of this agreement and the borrower shall abide by them till the loan is fully cleared by the borrower together with the interest and other charges.
2. That the said loan shall be secured against the personal guarantee of 2 guarantors acceptable to the bank in the form prescribed by the bank for this purpose. Besides, borrower shall also have to execute and submit the demand promissory note/ undertaking and other formalities required in this connection by the financing bank upto the satisfaction of the financing bank.
3. The borrower agrees to pay interest at the rate decided by the bank and applicable from time to time which is ____% per month presently. The interest shall be levied and capitalized on monthly basis or at the time of closing of particular account.
4. The borrower agrees to repay and clear the above loan within the stipulated period. The repayment will be made in the monthly installments or as agreed upon between the borrower and financing bank.
5. In case the loan /credit limit/ credit card is not renewed, the borrower hereby agrees to repay the amount outstanding under the limit immediately, otherwise the amount outstanding under the un-renewed limit shall be deemed overdue. Borrower shall be liable to pay extra interest as late fee as per scheme, till it is not repaid/ renewed.
6. Notwithstanding anything herein contained, the entire loan shall become forthwith due and repayable by the borrower to the financing bank and the financing bank will be entitled to

enforce its right to recover the loan upon happening of any of the following events, namely:-

a) Any amount of principal and/ or interest remaining unpaid and fall in arrears for period of three months after the same shall have become due.
b) The borrower committing any breach or default in the performance or observance and or any terms and conditions of the scheme formulated for this purpose.
c) The borrower's entering into any agreement or composition, contrary to the interest of the financing bank or committing any act of insolvency.
d) The borrower, failing or neglecting to utilise the whole or any part of the loan for the purpose for which it has been advanced.
e) On retirement/termination from the services/ cessation of profession/ business/ death or otherwise and casualty resulting in elimination of the services/ profession/ business of the borrower.
f) The occurrence of any event or circumstances which would or is likely to prejudicially or adversely affect in any manner the capacity of the borrower to repay the loan.

On the question, whether any of the above events happened, the decision of the financing bank shall be final and also be conclusive and binding on the borrower.

In witness whereof the parties have set their hands self or through their respective subscribing officials on this deed on the day, month and year first above written.

(.............................) (.............................)
MANAGER Borrower

Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd., Baran

Branch -------------------------------

Witness:
1. ------------------------------
Name -------------------------
Address ------------------------------------

2. ------------------------------
Name -------------------------
Address -----------------------------------

GUARANTEE DEED

This deed of guarantee is jointly and severally made on ________ day of ________, 20.... between Shri ____________________________________ S/0 Shri _________ ____________________ age ____ years, Occupation ___________ _________________ resident of ________________________ (hereinafter called the guarantor(i)) and Shri ____________________________________ S/0 Shri _________ ____________________ age ____ years, Occupation ____________ __ ______________ resident of ________________________ (hereinafter called the guarantor(ii)) of the one part and Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd, Baran, a society registered under the Rajasthan State Cooperative Societies Act, 2001 (hereinafter called the Bank) of the other part.

THIS GUARANTEE DEED WITNESSES AS FOLLOWS :-

1. In consideration of the bank having agreed to grant a fixed loan/OD limit/credit card of Rs.----- (Rupees ________________________) only to Shri _____ ________________ S/0 Shri______________________ age ______ years, occupation ________________ _____________ ___________ resident of __ ____ _________________ (hereinafter called the borrower) under the "Personal Loan Scheme" on the terms and conditions as stipulated by the bank in its scheme on such terms and conditions as the bank may decide and agreeable to borrower from time to time, against the promissory notes to be executed by the borrower in favour of the bank. The guarantor hereby fully and unconditionally agree and undertake to save the bank harmless and keep it indemnified on its demand being made on surety in the event of the borrower failing in repayment or principal amount outstanding in such loan/OD limit/ cash credit card account and interest on the same from and against all claims, damages, demands, losses, damages, expenses etc. whatsoever the bank may sustain or incur in respect of any money which may be advanced together with all interest, discount, commission and other banking, legal and other cost emerges which may be or may become payable in connection with the aforesaid loan.
2. The guarantor and bank hereby mutually agree as under :-

That the liability of guarantor in respect of loan will be to the tune of Rs. ______ ____________ ________ plus interest due and other charges thereon and all expenses, damages that might be incurred by the bank.

That the guarantors jointly and severely agrees that this guarantee shall be a continuing guarantee and shall not be considered as cancelled or effected by the act that any time the loan account may show nil outstanding against the borrower but shall continue in operation in respect of subsequent advances.

That the guarantor agree that any sum of sums of money which may not be recoverable from the borrower on the footing of this indemnity bond by reason of any legal limitations, disability or incapability of the borrower, whether known to bank or not shall nevertheless be jointly and severally recoverable from the sureties as independent principal debtor in respect thereof and shall be repaid by the guarantor on demand.

The guarantee herein contained shall be binding in all respect and for all purposes and operative until repayment of all moneys due to bank as aforesaid in respect of the said loan.

That the guarantor agrees to pay to the bank any sum or sums of money which become overdue on demand along with interest.

That the neglect or the forbearance of the bank in enforcing payment of any of such promissory note/s, payment whereof is intended to be hereby secured or the giving of time by the bank of the payment thereof shall not in any way release the guarantor of this liability under the guarantee herein before contained.

That the expression 'Guarantor and bank' hereinbefore used, shall unless such interpretation is repugnant to the contrary, include their successor and assigns/heirs. In witness whereof the parties have set their hands self and / or their respective subscribing officials on the deed on the day, month and year first above written.

Signature of Guaratnor (i) ___________

Signature of Acting on behalf of and under the authority of Baran Kendriya Sahakari Bank Ltd, Baran in this behalf

Name ____________________

Designation _______________

Name ___________________________

Address _________________________

____

____

Signature of Guaratnor (ii)___________

Name ___________________________

Address _________________________

____

____

In the presence of witness

1. ____________________

Name ________________

Address ______________

____

In the presence of witness

1. ____________________

Name ________________

Address ______________

____

BARAN KENDRIYA SAHAKARI BANK LTD., BARAN

Branch ....

Ref. No. BKSB/201…./ **Date :**

Shri/Smt.______________________
____
____

SUB: SANCTION OF TERM LOAN/ CREDIT LIMIT / CREDIT CARD UNDER ' PERSONAL LOAN SCHEME '
REF: YOUR APPLICATION DATED___________________________

Dear Sir,

With reference to your above cited application, we have the pleasure to inform you that we sanctioned a term loan/credit limit/ credit card of Rs. _____________ (Rupees _____________________________) only in your favour under " Personal Loan Scheme " on the following terms and conditions:-

1. The loan carries a rate of interest of **13.00** percent per annum (in other words **13** per cent per month) to be calculated at monthly rests. The rate of interest will be fixed/ variable from time to time as per offer given by you. The amount of interest so calculated shall be capitalized in your loan account at last day of each month.
2. In case of term loan, the repayment of loan will commence from the month of ___________. The EMI of loan will be Rs._____________for a period of ______ months and entire loan is to be paid by _______________ for which you have to submit advance cheques.
3. You shall have to deposit 5% of the outstanding on the 15th day of the every month by the 10th day of the succeeding month.
4. The credit limit/credit care will be operative from__________ to __________. In case the limit not renewed, the outstanding against the limit as on_____________ shall be deemed overdue.
5. Drawals under the limit will be made in credit limit account/credit card account through cheques to the extent of drawing power sanctioned by the Bank.
6. In the event of default of repayment of the loan by the borrower, the Bank reserves the right to stop the operation on this credit limit at any time without assigning any reason or the breach of any other condition without prejudice to any other action it may take. The Bank also reserves the right to call back full amount / a part of the outstanding against this loan limit at any time without assigning any reason thereof.
7. The usual terms and conditions of the Personal Loan Scheme and to be modified by Bank from time to time shall be fully complied by you.
8. The property offered by the borrower or his guarantor/s as security towards sanctions of the loan, shall in no case will be sold, mortgaged or otherwise charge shall be created on such security, till the said loan account alongwith interest and/or any other charges are paid to its complete satisfaction. You will have to deposit original title deeds in the Bank.
9. The Scheme of 'Sehkar Jeevan Suraksha Yojna' is acceptable to me and I hereby authorize the.............................. Branch to deduct the premium of Insurance as per the provision of The L.I.C. of India from my P.L. a/c or S.B. a/c No………..
10. You will have to submit following documents/instruments before availing the loan:-

- Nominal Membership Form
- D.P. Note/ T.P. Note
- Letter of acceptance
- Usance certificate
- Letter of continuity
- Revival Letter
- Performe of Guarantee Letter for deduction through salary, issued by your employer (on non judicial stamp paper of Rs. 10/-)
- Agreement Deed (on non judicial stamp paper of Rs. 100/-)
- Guarantee Deed (on non judicial stamp paper of Rs, 100/-)
- FDR Forms- 3 Nos.
- Signature cards- 3 Nos.
- Advance cheques
- Doccuments regarding collateral security
- Acceptance letter of 'Sahkar Jeevan Suraksha Yojna'.

Yours faithfully,

BRANCH MANAGER

I accept all terms and conditions

Signature Borrower

प्रबंध निदेशक,
बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,
प्रधान कार्यालय, बारां

विषय :— सहकार जीवन सुरक्षा योजना के तहत जीवन बीमा प्रीमियम की कटौती बाबत सहमति पत्र

महोदय,

निवेदन है कि मैं सहकार जीवन सुरक्षा योजनान्तर्गत राशि रूपये .... का जीवन बीमा करवाने हेतु सहमत हूॅ। बीमा प्रीमियम की राशि रूपये .... (अक्षरे .... मात्र) मेरे बचत खता संख्या .... को नामे लिखते हुये भारतीय जीवन बीमा निगम को भिजवाने की व्यवस्था करें।

योजनान्तर्गत लाभ हेतु मैं निम्न को नोमिनी नामित करता हूं:—

1. नाम ....
2. पता ....
3. बीमित से संबंध ....

भवदीय,

दिनांकः ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद एवं कार्यालय.......................

❖ **Note:** शीर्ष बैंक के लेखा एवं वित्त अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23–03–2011 के निर्देशानुसार ऋण प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व कम्प्यूटर पर इनटरनेट से संबंधित ग्राहक तथा गारण्टर की सिबिल की वेबसाईट **cibil.com** से **CREDIT INFORMATION REPORT** प्राप्त करें ताकि ऋणी तथा गारण्टर की विविध विगत के साथ– साथ अन्य बैंकों के साथ उनके चल रहे ऋण व्यवहार तथा वित्तीय अनुशासन का भी पता लगाया जा सकें। इस सेवा का ऋण की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावें ताकि शाखा प्रबंधक एवं शाखा स्टॉफ खराब ऋण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से सुरक्षित रह सकें।